196

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 887–दो/2015 विरूद्ध आदेश, दिनाक 12–2–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 103/2012–2013/अपील.

बटटोबाई पत्नि कल्लू जोगी
ग्राम पनवाड़ा तहसील कराहल
जिला श्योपुर मध्य प्रदेश

.....अपीलांट

विरूद्ध

1 नक्टू पुत्र लच्छा जाटव
2 रामजी पुत्र राधे सहर
दोनों ग्राम जागरा सरारी
तहसील कराहल जिला श्योपुर

–प्रत्यर्थीगण

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, अपीलार्थी
प्रत्यर्थीगण सूचना उपंरात अनुपस्थित–एकपक्षीय

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18-7-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 103/2012–2013/अपील में पारित आदेश दिनांक 12–2–2015 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 4 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2/ प्रकरण का सांराश यह है कि नायब तहसीलदार कराहल ने प्रकरण कमांक 28/2001–02/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 29–6–2002 से ग्राम पनावाड़ा में 47 भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का आबंटन किया । इस आबंटन में सरल कमांक 19 पर प्रत्यर्थी कमांक 1 को भूमि सर्वे नंबर 160 मिन0 0.627 हैक्टेयर एवं सरल कमांक 12 पर

प्रत्यर्थी कमांक 2 को भूमि सर्वे नंबर 160 मि0 0.627 हैक्टर का पट्टा स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी ने अपर कलेक्टर श्योपुर के समक्ष संहिता की धारा 182 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग की भूमि सर्वे कमांक 160 कुल रकबा 50 बीघा 18 बिसवा में से 9 बीघा 10 बिसवा पर उसका बेजा कब्जा है एवं फसल बोई है इसलिये प्रत्यर्थीगण के पट्टे निरस्त किये जाये । अपर कलेक्टर, श्योपुर ने प्रकरण पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई कर आदेश दिनांक 29–3–14 पारित किया एवं पट्टा निरस्ती हेतु ठोस आधार न पाने से अपीलार्थी का आवेदन निरस्त कर दिया ।

उक्त आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 103/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–2–2015 से अपील निरस्त की गई । इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील है ।

3/ अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। अपर कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर के समक्ष अपीलार्थी द्वारा इस आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसका 40 वर्ष से भी अधिक समय से निरंतर कब्जा चला आ रहा है और वह कृषि कार्य कर रही है । प्रत्यर्थीगण द्वारा पट्टों की शर्त के अनुरूप उनके प्रीमियम राशि जमा नहीं की गई है और ना ही कृषि कार्य किया जा रहा है । अतः पट्टे की शर्तो का उल्लंघन होने से पट्टा निरस्त किया जाये । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा विधिवत जांच नहीं कराई जाकर अत्यंत संक्षिप्त आदेश पारित करते हुए केवल यह निष्कर्ष निकाला जाकर कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में प्रत्यर्थीगण का पट्टा निरस्ती हेतु ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किये गये हैं एवं प्रत्यर्थीगण को शासन के निर्देश के पालन में प्राथमिकता के आधार पर पट्टे प्रदान किये गये हैं । इस प्रकार अपर कलेक्टर का आदेश वैधानिक दृष्टि से उचित आदेश नहीं ठहराया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त तथ्य को अनदेखा किया गया है । ऐसी स्थिति में उनके आदेश को भी पुष्ट नहीं किया जा सकता । इस प्रकरण में विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि अधीनस्थ न्यायालयों के

आदेश निरस्त कर प्रकरण अपर कलेक्टर को पुनः निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त एवं अपर कलेक्टर के आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण अपर कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे अपीलार्थी के आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में विधिवत जांच कर स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए कि क्या प्रत्यर्थीगण द्वारा पट्टों की शर्त के अनुरूप उनके प्रीमियम राशि जमा की गई है या नहीं और उनके द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया गया है अथवा नहीं उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर सकारण आदेश पारित करें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर